उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्त) अधिनियम, 1962

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1962 ई0)

THE U.P. HIGH COURT (ABOLITION OF LETTERS PATENT APPEALS) ACT, 1962

(U.P. Act No. XIV of 1962)

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्त) अधिनियम, 1962[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1962 ई०]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1972

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 31, 1975

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1981

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 4 सितम्बर, 1962 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 20 सितम्बर, 1962 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 7 नवम्बर, 1962 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 13 नवम्बर, 1962 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय में लेटर्स पेटेन्ट अपीलों की समाप्ति की व्यवस्था करने का

अधिनियम

भारतीय गणतन्त्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) अधिनियम, 1962 कहलाएगा।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उच्च न्यायालय की परिभाषा

2– इस अधिनियम में "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य यू0 पी0 हाई कोर्ट्स (अमलगमेशन) आर्डर, 1948 द्वारा यथा संघटित हाई कोर्ट आफ जुडिकेचर ऐट इलाहाबाद से है ।

अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके उच्च न्यायालय एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय या दी गई आज्ञा के विरूद्ध की जाने वाली अपीलों की समाप्ति

3– (1) ऐसे वाद या कार्यवाही से, जो चाहे इस अधिनियम के प्रचलित होने से पहले संस्थित अथवा प्रारम्भ की गई हो या वाद में, उत्पन्न होने वाली ऐसी कोई अपील उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न की जा सकेगी जो उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के उस निर्णय या आज्ञा के विरूद्ध हो जो उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या आज्ञा के सम्बन्ध में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके दी गई हो, भले ही यू0 पी0 हाई कोर्ट्स (अमलगमेशन) आर्डर, 1948 के खण्ड 17 के साथ पठित दिनांक 17 मार्च, 1866 के हर मेजेस्टी के लेटर्स पेटेन्ट के खण्ड 10 में या किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हो ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, वे सब अपीलें जो इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक के ठीक पूर्व के दिनांक को उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हों, वहां बनी रहेंगी और उनकी सुनवाई और निस्तारण उसी प्रकार पूर्ववत् किया जायगा, मानों यह अधिनियम प्रचलित ही न हुआ हो ।

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 28 अगस्त, 1962 का उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट देखिए ।

कतिपय मामलों में रिट याचिका के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय या दी गयी आज्ञा के विरूद्ध अपीलों की समाप्ति

[4– (1) किसी वाद या कार्यवाही से, जो चाहे इस धारा के प्रारम्भ होने के पहले या उसके पश्चात् संस्थित अथवा प्रारम्भ की गई हो, उत्पन्न होने वाली किसी अपील में राजस्व परिषद् द्वारा यू0 पी0 टेनन्सी ऐक्ट, 1939 अथवा 1950 ई0 का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश ओर भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 अथवा उत्तर प्रदेश नगर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1956 जौनसार भावर जमीदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1956, अथवा कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1960 के अधीन दिए गए अथवा दिए जाने के लिए तात्पर्यित निर्णय, डिक्री या आज्ञा के सम्बन्ध में, अथवा चकबन्दी संचालक (जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकारी भी है जो चकबन्दी संचालक की शक्तियों तथा कर्तव्यों का तात्पर्यित प्रयोग तथा पालन कर रहा हो) द्वारा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अधीन दिए गए या दिए जाने के लिए तात्पर्यित निर्णय, डिक्री या आज्ञा के सम्बन्ध में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 अथवा 227 के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके कृत निर्णय अथवा आज्ञा के विरूद्ध कोई अपील उच्च न्यायालय में नहीं की जा सकेगी, भले ही यू0 पी0 हाई कोर्ट्स (अमलगमेशन) आर्डर, 1948 के खण्ड 7 तथा 17 के साथ पठित हर मैजेस्टी के लेटर्स पेटेन्ट, दिनांक 17 मार्च, 1866 के खण्ड दस में अथवा अन्य किसी विधि में कोई प्रतिकूल बात दी हो ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व विचाराधीन सभी अपीलें उसी प्रकार सुनी और निस्तारित की जायेंगी मानों कि यह धारा अधिनियमित न की गई हो ।][1]

कतिपय अन्य मामलो में लेटर्स पेटेन्ट अपील की समाप्ति

[2]**[5**– (1) यू0 पी0 हाई कोर्ट्स (अमलगमेशन) आर्डर, 1948 के खण्ड 7 और 17 के साथ पठित दिनांक 17 मार्च, 1866 के हर मैजेस्टी के लेटर्स पेटेन्ट के खण्ड 10 में या किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ––

(क) किसी अधिकरण, न्यायालय या सांविधिक पंच द्वारा, किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम या संविधान की सप्तम अनुसूची की राज्य या समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से किसी से संबंधित किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अधिकारिता का; या

(ख) सरकार या किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा ऐसे किसी अधिनियम के अधीन अपीलीय या पुनरीक्षण अधिकारिता का,

प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग करके दिए गए या दिए जाने के लिये तात्पर्यित किसी निर्णय या आदेश या अधिनिर्णय के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए, किसी निर्णय या आदेश के विरूद्ध कोई अपील उच्च न्यायालय में नहीं की जा सकेगी, चाहे ऐसी अपील उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) अधिनियम, 1981 के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् संस्थित या प्रारम्भ किये गये किसी आवेदन या कार्यवाही से उत्पन्न हो ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 33, 1972 की धारा 2 द्वारा अन्तविष्ट ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 12, 1981 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित (उ0प्र0 अधिनियम सं0 31, 1975 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया)।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उस उपधारा में निर्दिष्ट प्रकार की सभी अपीलें, जो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) (संशोधन) अधिनियम, 1981 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थी, उसी प्रकार सुनी और निस्तारित की जायेंगी मानों वह उपधारा अधिनियमित ही न की गई हो ।][1]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1981 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित (तथा उ0प्र0 अधिनियम संख्या 31, 1975 द्वारा बढ़ाया गया।)